न्यायालय जिला न्यायाधीश, अजमेर, जिला–अजमेर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – संगीता शर्मा ,(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या 34/2023
सी.आई. एस. नम्बर 122/2023

राजकंवर व अन्य बनाम प्राधिकृत अधिकारी, रेल्वे केरिज वर्क शॉप व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता।

उपस्थित
1– श्री राजेन्द्र सक्सैना, अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री संजीव आनन्दकर, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3– अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

आदेश **दिनांक–15.09.2023**

1– प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थिया की ओर से मूल प्रार्थना–पत्र भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसके उनवान शीर्षक में प्रार्थीगण का पता टंकण त्रुटि होने के कारण प्लॉट नं.10, शुभम कॉलोनी, सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास, एम.डी.एस.यूनिवर्सिटी, कायड़ रोड़, अजमेर संशोधन कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में प्रार्थीगण का पता संशोधित किये जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

2– प्रार्थना–पत्र की नकल विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी को दिलाई गई।

3– अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र का कोई लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं कर मौखिक बहस का निवेदन किया गया।

4– बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली व संबंधित प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मूल प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में प्रार्थीगण का पता संशोधित कराने व संशोधित उनवान पेश करने हेतु निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में संशोधन किये जाने व संशोधित उनवान पेश किये जाने पर अनापत्ति प्रकट की है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण की ओर

से यह प्रार्थना–पत्र धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक विजय सिंह की सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु पेश किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र के उनवान में प्रार्थीगण का पता संशोधित कराने व संशोधित उनवान पेश करने हेतु निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है ।मेरी विनम्र मत में इस प्रकार के संशोधन से प्रकरण की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में प्रकरण के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये संशोधन करने व संशोधित उनवान पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्तानुसार प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 06 नियम 17 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिया उपरोक्तानुसार संशोधित उनवान पेश करें।

(संगीता शर्मा)
जिला न्यायाधीश, अजमेर

6– आदेश आज दिनांक 15.09.2023 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संगीता शर्मा)
जिला न्यायाधीश, अजमेर